छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन– नया रायपुर, 492002

आदेश

रायपुर, दिनांक 15.02.2016

कमांक एफ 2–2/2008/नौ/55–तीन :::::: राज्य शासन, एतद्द्वारा, संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ0ग0 रायपुर के अंतर्गत शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर में प्रोफेसर/रीडर के पद पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रतिमाह निश्चित समेकित वेतन में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद एवं पदस्थान में संविदा नियुक्ति दी जाती हैः–

स. क.	नाम एवं पता	संवर्ग	पद नाम	पदस्थापना स्थान का नाम	प्रतिमाह निश्चित समेकित वेतन
1	2	3	4	5	
1.	डॉ0 बंकिमचन्द्र सेनापति, प्रोफेसर, डिपार्ट शल्यतंत्र गोपबंधु, आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी, ओडिसा	अनारक्षित	प्रोफेसर, शल्य तंत्र	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर	रूपये 80,000/–
2.	डॉ0 प्रमोद कुमार मांझी, लेक्चरर, प्रसूति एवं स्त्रीरोग गोपबंधु, आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी, ओडिसा	अनारक्षित	प्रोफेसर, प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर	80,000/–
3.	डॉ0 गीतांजली सास्मल, एस.आर.पटनायक, ग्रा. करन्दोला, पोस्ट भनपुरी जिला बस्तर छ0ग0	अनारक्षित	रीडर, क्रिया शरीर	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर	रूपये 52,000/–
4	डॉ0 प्रमोद उद्धव राउत, गौरव मेडिकल स्टोर्स, राजन जैन काम्पलेक्स, लखोली पुलिस चौकी, लखोली, राजनांदगांव छ.ग.	अनारक्षित	रीडर, शल्य तंत्र	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर	रूपये 52,000/–
5	डॉ0 मयंक कृष्ण कुलश्रेष्ठ, 15 (रामहृदय कृष्णसखा सोसायटी) रोहनीपुरम, रायपुर, छ0ग0	अनारक्षित	रीडर, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर	रूपये 52,000/–
6.	डॉ0 अजय कुमार श्रीवास्तव स्टॉफ क्वार्टर, छ0ग0आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मनकी, राजनांदगांव छ0ग0	अनारक्षित	रीडर, द्रव्यगुण	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर	रूपये 52000/–

Verma 482

7.	डॉ0 सचिन कुमार बघेल, 47, न्यू ज्ञानेश्वर नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर –44007	अनारक्षित	रीडर, अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर	रूपये 52000/–
8.	डॉ0 अमरनाथ शुक्ला, ई–66, प्रथमतल नारायणा बिहार, नई दिल्ली	अनारक्षित	रीडर, कायचिकित्सा	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर	रूपये– 52,000/–
9	डॉ0 रविन्द्र रजनीश, दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर–3, एयरटेल टॉवर के सामने, रायपुर छ0ग0	अनारक्षित	रीडर, स्वस्थ्यवृत्त	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर	रूपये– 52,000/–

2/ संविदा नियम की शर्तेः–

1. संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
2. किसी भी दशा में शासकीय सेवक नहीं होगा।
3. निजी प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी ।
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी उपलब्ध होने/कार्य संतोषजनक न होने अथवा अधिकतम 01 वर्ष के लिए जो भी पहले हो, पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी । वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा । विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा लगाया जाएगा।
6. संविदा नियुक्त व्यक्ति की जिस पद पर नियुक्ति की गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी ।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(आचरण)नियम 1965 एवं संविदा नियम,2012 से शासित होंगे ।
8. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

9. संविदा नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।

10. उम्मीद्वार का चरित्र सत्यापन उपयुक्त नहीं पाये जाने पर संविदा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

11. संविदा नियुक्त कर्मचारी को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा राशि का कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी ताकि इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना वरण किया गया ।

12. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को संविदा की सम्पूर्ण अवधि में पदस्थापना के मुख्यालय पर निवास करना अनिवार्य है।

13 संविदा पर नियुक्त अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. चयनित अभ्यर्थियों को 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

15. उक्त शिक्षकों की संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक 03.09.2015 संशोधित आदेश दिनांक 16.10.2015 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 19.10.2015 अनुसार निर्णय लिये जाने के उपरांत जारी किया गया है।

3/. स0क0 04 से 09 पर अंकित रीडर के पद पर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर में नियुक्त शिक्षकों के संबंध में उनका वेतन रिक्त पद के विरूद्ध आहरित किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुनील विजयवर्गीय)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्र. एफ 2–2/2008/नौ/55–तीन रायपुर, दिनांक 15-12-2016
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर
3. संचालक, आयुर्वेद,योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) रायपुर, की ओर सूचनार्थ।

Verma 484

4. प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर (छ0ग0) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित की उपस्थिति मान्य करने के पूर्व समस्त मूल अभिलेखों का आप स्वयं अवलोकन कर छायाप्रतियां सत्यापित कर कार्यालय रिकार्ड हेतु रखें तथा उपस्थिति से अवगत करावें ।

5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर/बिलासपुर (छ0ग0)

6. कलेक्टर, जिला रायपुर/बिलासपुर (छ0ग0)

7 संबंधित डॉ0...द्वारा संचालक, आयुष।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

8. स्टाक फाईल ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग